श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

क्रमांक:एफ-3/05/LBSNSU/Acad./2020-21/ 1122 **दिनांक:**-23.12.2021

कार्यालयीय सूचना

विषय: शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने के सन्दर्भ में।

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 को प्रात: 11.30 बजे कक्ष सं0 3 में आयोजित की गई।

वरीयता सूची के अनुसार निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को 'छात्र-कल्याण-परिषद्' के पदाधिकारी एवं सदस्य मनोनित किया जाता है।

क्रम संख्या	कक्षा	पदाधिकारी	संबंधित छात्र का नाम
1	विद्यावारिधि	अध्यक्ष	ब्रजेश पाठक (ज्योजिष)
2	शिक्षाचार्य	उपाध्यक्ष	कविता आर्या (शिक्षा)
3	आचार्य द्वितीयवर्ष	1. महामंत्री 2. महामंत्री	राजेश कुमार मिश्रा (पुराणेतिहास) नितिका जिन्दल (नव्यव्याकरण)
4	शास्त्री तृतीयवर्ष	1. सदस्य 2. सदस्य	नेहा उपाध्याय (प्राचीन व्याकरण) अभिषेक बहुखण्डी (नव्यव्याकरण)
5	शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्ष	1. सदस्य 2. सदस्य	आशुतोष चन्द्र झा (शिक्षाशास्त्री) याचना (शिक्षाशास्त्री)
6	शिक्षाचार्य द्वितीयवर्ष	सदस्य	अरूणा जुगराण

'छात्र-कल्याण-परिषद्' गठित करने हेतु निर्धारित नियमों के अनुपालन में 'छात्र-कल्याण-परिषद्' के सदस्यों को निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. छात्रकल्याण-परिषद् छात्र-वर्ग की शैक्षणिक-गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलों पर नियमानुसार उचित-कार्यवाही-हेतु अपना प्रस्ताव लिखित रूप में अपने विभाग के विभागाध्यक्ष, पीठप्रमुख के माध्यम से सम्पर्क अधिकारी-छात्र शिकायत-निवारण-प्रकोष्ठ प्रो. बिहारी लाल शर्मा, ज्योतिष-विभाग को प्रस्तुत करेंगे, जो अपनी विशेष-टिप्पणी के साथ सम्बन्धित-प्रस्ताव को पीठप्रमुख छात्र-कल्याण को प्रेषित करेंगे। पीठप्रमुख, छात्रकल्याण प्रस्तुत शिकायत की समीक्षा करने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम-कार्यवाही-हेतु कुलपति महोदय / कुलसचिव महोदया को प्रेषित करेंगे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 में दिये गये सुझावों के अनुरूप छात्रों को आत्मानुशासन का पालन भी करना होगा और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखनी होगी।
3. छात्रों के किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उनके विरुद्ध यथोचित-अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। छात्रों द्वारा अत्यन्त-गम्भीर-दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर प्रमाणित होने एवं अनुशासन-समिति की अनुशंसा पर छात्र को छात्रकल्याण-परिषद् से निष्कासित भी किया जा सकता है। तथा प्रवेश नियमानुसार संबंधित छात्रा का पंजीकरण निरस्त भी किया जा सकता है।

4. छात्रकल्याण-परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि कोई छात्र यदि विश्वविद्यालय परिसर की सम्पति को नुकसान करता है, तो वह अनुशासनात्मक-कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान की गई सम्पत्ति की भरपाई के लिए सम्बन्धित छात्र या छात्र-समूह जिम्मेदार होगा।
5. छात्रकल्याण-परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि सभी छात्र विश्वविद्यालय परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। किसी भी अवांछित-गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, जो परिसर की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा।
6. परिसर में स्वयं या अन्य छात्रों के द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति-भंग करने, अपनी बात जबर्दस्ती मनवाने का प्रयास करने पर अनुशासन-समिति उस छात्र के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक-अनुशासनात्मक-कार्यवाही कर सकती है।
7. छात्र-कल्याण-परिषद् का गठन प्रत्येक शैक्षणिक-वर्ष में प्रविष्ट प्रत्येक-विषय के छात्रों की विगत-परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित-वरीयताक्रमानुसार अंक प्रतिशत सूची के अनुसार ही किया गया है।
8. छात्रकल्याण-परिषद् प्रत्येक छात्र को प्रेरित करेगी कि वह विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर छात्रों के लिए आयोजित समस्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक-कार्यक्रमों में ज्ञान-वर्धनार्थ भाग लेंगे।
9. छात्रकल्याण-परिषद् के गठन, संचालन एवं अन्य क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा आवश्यक-निर्णय लिया जा सकता है। नियमों में किसी विसंगति, अस्पष्टता या आवश्यकतानुसार परिषद् के गठन एवं संचालन-हेतु कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
10. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक-नियम-परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा।
11. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर प्रेषित दिशा-निर्देशों का छात्र कल्यण परिषद् के सदस्यों तथा संबंधित छात्रों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

छात्र कल्यण परिषद् हेतु मनोनित सदस्यों को अपना शपथ-पत्र पीठम् प्रमुख छात्र कल्याण परिषद् प्रो. नीलम ठगेला के कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः-

1. समस्त पीठ प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
2. निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं कुलानुशासक
3. छात्रावास अधिष्ठाता
4. प्रभारी एन.सी.सी. अधिकारी (छात्र एवं छात्रा वर्ग)
5. उपकुलसचिव (परीक्षा एवं शैक्षणिक)
6. समस्त सहायक कुलसचिव
7. सहायक पुस्ताकलय अध्यक्ष
8. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अंकित करने का कष्ट करें।
9. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव
10. संबंधित पत्रावली
11. कार्यालय आदेश पंजिका

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)